न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल. आर. गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 04/2012 – निगरानी

1. श्री शिवसिंह मीणा पिता भवानीसिंह मीणा निवासी लुहारीकलां तह. जहाजपुर
2. श्री मोहन सिंह मीणा पिता बरदासिंह मीणा निवासी लुहारीकलां तह0 जहाजपुर जिला भीलवाडा

–निगराकार

बनाम

1. श्री रामनारायण पिता गोकल स्वर्णकार निवासी लुहारीकलां मृतक
   1/1. श्रीमती रूकमणी देवी पत्नी रामनारायण सोनी निवासी शिवराजनगर हिण्डौली जिला बुन्दी
   1/2. श्रीमती लाडबाई पुत्री रामनारायण सोनी निवासी खामोर तह0 जहाजपुर
   1/3. श्रीमती प्रेमबाई पुत्री रामनारायण सोनी निवासी बडी बिजोलिया तह0 बिजोलिया
   1/4. श्री प्रकाशचन्द्र पुत्र रामनारायण सोनी निवासी हिण्डौली जिला बुन्दी
   1/5. श्री महावीर पुत्र रामनारायण सोनी निवासी हिण्डौली जिला बुन्दी
2. श्री गजानन्द पिता भूरालाल खाती निवासी लुहारीकलां
3. श्री भूरालाल पिता देवीलाल खाती निवासी लुहारीकलां
4. ग्राम पंचायत लुहारीकलां

– गैर निगराकार

निगरानी विरूद्व ग्राम पंचायत लुहारीकलां पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाडा द्वारा पटटा सं. 13 दिनांक 31.03.1964 को आबादी भूमि का विक्रय विलेख ग्राम लुहारीकलां द्वारा जारी किये गये पटटा को निरस्त कराने बाबत्।

उपस्थितिः–

1. श्री प्रकाश देवानी अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्रुति शर्मा अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 01 की ओर से
3. श्री मनीष कांटिया अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 02 व 03 की ओर से

निर्णय

दिनांक 28.02.2017

निगराकार की ओर से यह निगरानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत गैर निगराकारान के विरूद्व दिनांक 15.02.2012 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम लुहारीकलां में एक आबादी भूमि का पटटा दिनांक 31.03.1964 को खुली बोली से 55/–रू. में गैर निगराकार सं. 01 के नाम पर जारी होना बताया जा रहा है । तथाकथित पटटा जो गैर निगराकर सं. 01 के नाम पर जारी किया गया है , इस भूमि पर मीणा समाज लुहारीकलां द्वारा निर्मित पूर्वजों की समाधियां है तथा काल – भैरव भी 400–500 वर्ष पुराना है । इस पर प्रार्थीगण एवं ग्राम के वासियान वर्षों से सेवा – पूजा

करते आ रहे है । जिससे तथाकथित पटटा दिनांक 31.03.1964 को जारी किया गया उसे निरस्त कराया जाना आवश्यक है । उक्त तथाकथित पटटे की पुश्त पर विपक्षी सं. 01 ने विपक्षी सं. 02 व 03 को 115/–रू. में विक्रय कर दिया । जिस पर अभी तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया । पटटा सं. 13 सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से काबिले निरस्त है। दिनांक 31.03.1964 से लगातार आज दिन तक कभी भी गैर निगराकार सं. 01 से लगायत 03 का कभी भी कब्जा नहीं रहा हैं। अतः निवेदन है कि ग्राम पंचायत लुहारीकलां तहसील जहाजपुर द्वारा दिनांक 31.03.1964 को तथाकथित पटटा सं. 13 विपक्षी सं0 01 के नाम से जारी पटटे को निरस्त फरमाया जावे ।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 16.02.2012 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये । सरपंच ग्राम पंचायत लुहारीकलां ने मूल पत्रावली प्रस्तुत नहीं की । विकास अधिकारी पंचायत समिति जहाजपुर ने अपने पत्रांक 2365 दिनांक 5.10.2015 से ग्राम पंचायत की पत्रावली की फोटो प्रमाणित प्रति प्रेषित की है ।

गैर निगराकार 01 की ओर से विधिक वारिसान मु. लाडबाई पुत्री रामनारायण सोनी ने निगराकार की निगरानी के खण्डन में जवाब प्रस्तुत किया गया । प्रस्तुत जवाब में कहा गया कि निगराकारान की ओर से प्रस्तुत आदेश 22 नियम 4 का प्रार्थना पत्र उचित समय अवधि में पेश नहीं किया गया है , अतः मियाद बाहर होने से खारिज योग्य हैं । निगराकार ने जानबूझकर गैर निगराकार (मृतक) व उनके वारिसान को परेशान करने की गरज से निगरानी प्रस्तुत की है जो खारिज होने योग्य है । निगराकार के पास निगरानी प्रस्तुत करने का कोई स्पष्ट व वैध आधार नहीं है । बिना किसी ठोस आधारों / साक्ष्यों पर यह निगरानी पेश की है जो खारिज होने योग्य है ।

निगराकार का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जा.दी. का गैर निगराकार सं. 01 के विधिक वारिसान होने से दिनांक 26.09.2014 को स्वीकार किया गया । गैर निगराकार सं. 01 के विधिक वारिसान का जवाब दिनांक 19.12.2014 को पेश हुआ ।

प्रस्तुत निगरानी में निगराकार व गैर निगराकार अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी ।

निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम लुहारीकलां में एक आबादी भूमि का पटटा दिनांक 31.03.1964 को खुली बोली से 55/–रू. में गैर निगराकार सं. 01 के नाम पर जारी होना बताया जा रहा है । तथाकथित पटटा जो गैर निगराकर सं. 01 के नाम पर जारी किया गया है , इस भूमि पर मीणा समाज लुहारीकलां द्वारा निर्मित पूर्वजों की समाधियां है तथा काल – भैरव स्थान भी 400–500 वर्ष पुराना है । इस पर

प्रार्थीगण एवं ग्राम के वासियान वर्षों से सेवा – पूजा करते आ रहे है । जिससे तथाकथित पटटा दिनांक 31.03.1964 को जारी किया गया उसे निरस्त कराया जाना आवश्यक है । उक्त तथाकथित पटटे की पुश्त पर विपक्षी सं. 01 ने विपक्षी सं. 02 व 03 को 115/–रू. में विक्रय कर दिया । जिस पर अभी तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया । गैर निगराकार सं. 02 व 03 ने वर्ष 2012 में पटटे की भूमि को स्वयं की होना बताया , जिस पर गांव वालों की ओर से जिला कलक्टर भीलवाडा को आपत्ति प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया । पटटा सं. 13 की आबादी भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से काबिले निरस्त है।

गैर निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में वर्ष 1964 में पटटा जारी हुआ था । 40 वर्ष बाद पटटे को निरस्त करने हेतु निगरानी प्रस्तुत की है । निगरानी देरी से प्रस्तुत करने का कारण नहीं बताया है । रामनारायण स्वर्णकार के नाम पटटा जारी हुआ है , जिनकी मृत्यु हो चुकी हैं। पटटे की भूमि पर देवरा होता तो , गांव की ओर से निगरानी पेश होती । पटटे की भूमि पर गैर निगराकार का ही कब्जा है, जबकि निगराकार का कभी कब्जा नहीं रहा है । निगराकारान की ओर से प्रस्तुत आदेश 22 नियम 4 का प्रार्थना पत्र उचित समय अवधि में पेश नहीं किया गया है , अतः मियाद बाहर होने से खारिज योग्य हैं । निगराकार ने जानबूझकर गैर निगराकार (मृतक) व उनके वारिसान को परेशान करने की गरज से निगरानी प्रस्तुत की है, जो खारिज होने योग्य है । निगराकार के पास निगरानी प्रस्तुत करने का कोई स्पष्ट व वैध आधार नहीं है । बिना किसी ठोस आधारों / साक्ष्यों पर यह निगरानी पेश की है जो खारिज होने योग्य है ।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता हैं कि ग्राम लुहारीकलां की आबादी भूमि का पटटा दिनांक 31.03.1964 को 55/–रू. में नीलामी बोली से गैर निगराकार सं. 01 के नाम पर जारी किया गया । आबादी क्षैत्र में भूखण्डों के निलाम किये जाने के संबंध में राजस्थान पंचायती राज नियम 143 से 156 बने हुए हैं। उक्त पटटा सं. 13 दिनांक 31.03.1964 को जारी करते समय सरपंच ग्राम पंचायत लुहारीकलां द्वारा उक्त नियमों में निर्धारित प्रकिया की पालना नहीं की गयी हैं। गैर निगराकार सं. 01 द्वारा जारी पटटा दिनांक 31.03.1964 के भूखण्ड को 115/–रू0 में गैर निगराकार सं. 02 व 03 को विक्रय करने का अंकन हैं, जो 100/–रू. से अधिक राशि का क्रय विक्रय होकर अनरजिस्टर्ड हैं, जो विधि मान्य नहीं है। निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रश्नगत भूखण्ड के फोटोज के अवलोकन से स्पष्ट होता हैं कि गैर निगराकार सं. 01 से लगायत 03

का उक्त पटटा की भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा हैं। उक्त पटटे की भूमि सार्वजनिक उपयोग में आती रही है । इस प्रकार प्रश्नगत भूखण्ड के बेचान की पूर्ण प्रक्रिया का गैर निगराकार सं. 01 द्वारा पालन नहीं किया जाना पाया जाता है एवं उक्त भूखण्ड पर गैर निगराकार सं. 01 से लगायत 03 का कब्जा भी नहीं रहा हैं । निगराकार द्वारा प्रस्तुत फोटो के रूप में भूखण्ड में चबूतरें एवं पूजा स्थल होना स्पष्टतः प्रमाणित होते है। भूखण्ड का उपयोग सार्वजनिक हित में होना पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हैं । पटटेदार की मृत्यु हो चुकी हैं। गैर निगराकार सं. 02 व 03 को उक्त पटटे का अंतरण भी विधिनुरूप नहीं हुआ हैं। ऐसी स्थिति में गैर निगराकार सं. 02 व 03 के किसी भी तरह के अधिकार उक्त भूखण्ड में उत्पन्न नहीं होते हैं । क्योंकि पटटा जारी करते समय पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ण पालना नहीं की गई हैं एवं कब्जा गैर निगराकारान् का न होकर भूखण्ड का सार्वजनिक उपयोग किया जा रहा हैं। अतः प्रश्नगत पटटे को अवैध एवं प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य घोषित किया जाकर निरस्त किया जाना न्यायोचित है । उपरोक्त विवेचन के अनुसार निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती है । अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 विरूद्व ग्राम पंचायत लुहारीकलां पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाडा द्वारा पटटा सं. 13 दिनांक 31.03.1964 के संबंध में स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत लुहारीकलां द्वारा जारी पटटा सं. 13 दिनांक 31.03.1964 प्रश्नगत भूखण्ड के बेचान की पूर्ण प्रक्रिया का गैर निगराकार सं. 01 द्वारा पालन नहीं किये जाने से एवं भूखण्ड का सार्वजनिक हित में उपयोग होना स्पष्ट होने से हैं तथा गैर निगराकार सं. 01 से लगायत 03 का उक्त पटटे की भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहने से पटटा सं. 13 दिनांक 31.03.1964 को अवैध एवं प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य घोषित किया जाकर निरस्त किया जाता है । निर्णय प्रति अधीनस्थ ग्राम पंचायत को पालनार्थ लौटाया जावे । आदेश की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति जहाजपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/2/17

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा